प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

दिशानिर्देश

(पीएमजीएसवाई-IV)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

दिसम्बर, 2024

विषयवस्तु

भाग I - कार्यक्रम के उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रस्तावना 1
2. पीएमजीएसवाई-IV के उद्देश्य 2
3. पीएमजीएसवाई-IV के मार्गदर्शी सिद्धांत और परिभाषाएँ 3

भाग - II ग्रामीण सड़कों की योजना, वित्तपोषण, निर्माण, निगरानी और रखरखाव

4. वित्तपोषण और आवंटन 5
5. ग्रामीण सड़कों की योजना बनाना और परियोजना प्रस्ताव तैयार करना 6
6. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना 8
7. राज्य स्तरीय एजेंसियां 12
8. परियोजना प्रस्तावों की जांच 12
9. अधिकार प्राप्त समिति 14
10. कार्यों की निविदा प्रक्रिया 14
11. कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयाँ 17
12. कार्यों का निष्पादन और अनुबंध प्रबंधन 19
13. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी 21
14. गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र 22
15. निगरानी 26
16. ग्रामीण सड़कों और पुलों का रखरखाव 27
17. ग्रामीण सड़क सुरक्षा और सुगमता उपाय 30

भाग III - निधियों का प्रवाह, जारी करने की प्रक्रिया और लेखापरीक्षा

18. निधियों का प्रवाह 31
19. लेखापरीक्षा 33
20. विविध 33
21. अभिसरण 35

अनुलग्नक (एमपी I और II प्रारूप) 36

भाग I - कार्यक्रम के उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रस्तावना

1.1 सरकारी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने और त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सड़क संपर्क रहित ग्रामीण बसावटों तक संपर्क सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण सड़कें बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और गरीबी को कम करने का काम भी करती हैं। इन सड़कों के कारण ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

1.2 ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन की रणनीति के रूप में 500 और उससे अधिक (जनगणना 2001 के अनुसार) जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्रों में, 250 और उससे अधिक जनसंख्या वाले विशेष श्रेणी के राज्यों (पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य) में, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम द्वारा चिन्हित रेगिस्तानी क्षेत्र और गृह विभाग/योजना आयोग द्वारा चिन्हित 88 चयनित पिछड़े जिले में पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (जिसे आगे पीएमजीएसवाई-I के रूप में संदर्भित किया गया है) की शुरूआत की।

1.3 हालांकि, जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में इसकी दक्षता में सुधार करने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई और साथ ही साथ चल रहे पीएमजीएसवाई कार्यक्रम को तेजी से पूरा करने की गति को जारी रखने की भी आवश्यकता महसूस की गई। वर्ष 2013 में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 100-249 (2001 की जनगणना) की जनसंख्या श्रेणी में बसावटों को संपर्क प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, उसी वर्ष, पीएमजीएसवाई-II को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लक्ष्य के साथ चयनित सड़के द्वारा (टीआर) और प्रमुख ग्रामीण संपर्क (एमआरएल) को उन्नत करने के लिए शुरु किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2016 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के लिए ग्रामीण संपर्क परियोजनाओं को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग घटक के रूप में शुरू किया गया था।

1.4 पीएमजीएसवाई-III को 2019 में मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों (एमआरएल) के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,25,000 किलोमीटर मार्गों को उन्नत करने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम), उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से बसावटों को जोड़ते हैं।

1.5 पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन में भी मदद मिली है और ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी काफी मदद मिली है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण सड़क कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से राज्य निर्माण एजेंसियों जैसे ग्रामीण कार्य विभाग, राज्य पीडब्ल्यूडी और अन्य राज्य संगठनों की समावेशन क्षमता भी सक्षम हुई है। पीएमजीएसवाई के क्रियान्वयन, इसके कार्यक्रम प्रबंधन ढांचे, गुणवत्ता आश्वासन और प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं आदि ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को सड़क कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद की है।

1.6 पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के माध्यम से 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 99.6% पात्र बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की गई है। बसावटों का उद्भव एक गतिशील प्रक्रिया है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में कई नई बसावटें उभरी हैं जो संपर्क से वंचित हैं। बुनियादी सेवाओं की संतृप्ति और ग्रामीण सड़कों सहित बुनियादी ढाँचे तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार इन बसावटों को संपर्क प्रदान करना अनिवार्य है। यह मांग लगातार की जा रही है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या पर विचार करते हुए सड़क संपर्क रहित बसावटों की पात्रता को निर्धारित किया जाए।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा की:

"जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हुये 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चरण IV शुरू किया जाएगा"

1.7 उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा देश में सबसे दूर स्थित संपर्क रहित बसावटों तक संपर्कता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पीएमजीएसवाई के चरण-IV के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस पहल के अंतर्गत लगभग 25,000 ग्रामीण बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान की जाएगी, जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं। बसावटों को जोड़ते समय, ग्रामीण जनता के लाभ के लिए सरकार की निकटवर्ती

महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को यथासंभव बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए।

1.8 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से इस संबंध में एनआरआईडीए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विस्तृत सर्वेक्षण के बाद पात्र बसावटों की पहचान करेंगे और जियो-सड़क और पीएम-गतिशक्ति पोर्टल की मदद से योजना सावधानीपूर्वक बनाई जाएगी।

2. पीएमजीएसवाई-IV के उद्देश्य

2.1 पीएमजीएसवाई-IV का प्राथमिक उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, आकांक्षी ब्लॉक/जिले) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ जनसंख्या (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार) वाले लगभग 25,000 सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है।

2.2 सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों तक आसान एवं तेज़ आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत, किसी बसावट को जोड़ते समय आस-पास के सरकारी शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों, बाजार और विकास केंद्रों को ग्रामीण जनता के लाभ के लिए यथासंभव बारहमासी सड़क से जोड़ा जाना चाहिए।

2.3 पीएमजीएसवाई सड़कें 5 साल के रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत आती हैं, जो मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी) के अनुसार उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ किया जाना है। चूंकि पीएमजीएसवाई सड़कों की डिज़ाइन अवधि दस साल है, इसलिए राज्यों को अगले पाँच साल तक रखरखाव करना होगा | पीएमजीएसवाई-III को लागू करते समय पांच साल के बाद रखरखाव करने के लिए राज्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत नई संपर्कता केवल उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी, जिन्होंने ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईएमएआरजी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि उनके राज्य में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का सड़क निर्माण के 5 साल बाद नियमित रखरखाव किया गया है। ईएमएआरजी के पांच वर्ष के बाद के निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्वास, नवीकरण, नवीकरण-पूर्व नियमित रखरखाव, नवीकरण-पश्चात रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं।

2.4 ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के सड़क संपर्क घटक को भी क्रियान्वित कर रहा है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत दूरी से संबंधित पीएमजीएसवाई मानदंडों का पालन किया जा रहा है। वीवीपी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कुछ चिन्हित गांवों तक आवश्यक संपर्कता बढ़ाई जा रही है और इससे पीएमजीएसवाई-IV के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, पीएम-जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के चिन्हित गांवों को संपर्कता प्रदान की जा रही है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वीवीपी और पीएम-जनमन के सड़क संपर्क घटकों का पीएमजीएसवाई-IV के साथ दोहराव न हो। पीएमजीएसवाई-IV, पीएम-जनमन और वीवीपी सड़क संपर्क घटक कई सड़क संपर्क रहित बसावटों तक संपर्क सुनिश्चित करेंगे।

3. पीएमजीएसवाई-IV के मार्गदर्शी सिद्धांत और परिभाषाएं

3.1 पीएमजीएसवाई-IV का उद्देश्य पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। ऐसी बसावटें जिन्हें पहले ही बारहमासी संपर्क प्रदान किया गया था, वे पात्र नहीं होंगी, भले ही वर्तमान में सड़क की स्थिति खराब हो।

3.2 इस कार्यक्रम की इकाई 'बसावट' है, न कि राजस्व गांव अथवा पंचायत। बसावट एक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का समूह है, जिसका स्थान समय के साथ नहीं बदलता है। बसावटों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर देसम, ढाणी, टोला, मजरा, हैमलेट आदि शब्दावली इस्तेमाल की जाती है।

3.3 बारहमासी सड़क वह है जो कतिपय स्वीकृत रुकावटों के साथ सभी मौसमों में उपयोग की जा सकती है । अनिवार्य रूप से इसका मतलब यह है कि क्रॉस ड्रेनेज संरचनाओं में, एक स्ट्रेच पर अतिप्रवाह या रुकावट की अवधि एक बार में 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और एक वर्ष में 6 बार से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.4 सड़क संपर्क रहित बसावट वह है, जिसमें निर्दिष्ट आकार की जनसंख्या हो, जो बारहमासी सड़क या जुड़ी हुई बसावट से कम से कम 500 मीटर या उससे अधिक (पहाड़ियों के मामले में पथ की दूरी 1.5 किमी) की दूरी पर स्थित हो।

3.5 सभी गांवों/बसावटों तक 'बुनियादी पहुंच' प्रदान करने के लिए आवश्यक ग्रामीण सड़क नेटवर्क को कोर नेटवर्क कहा जाता है। बुनियादी पहुंच को प्रत्येक गांव/बसावटों से समीपवर्ती बाजार केंद्र या ग्रामीण व्यापार केंद्र (आरबीएच) और आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक एक बारहमासी सड़क पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। कोर नेटवर्क में थ्रू रूट और लिंक रूट शामिल होते हैं। थ्रू रूट वे होते हैं जो कई लिंक सड़कों या बसावटों की लंबी श्रृंखला से यातायात ले आते हैं और इसे बाजार केंद्र या उच्च श्रेणी की सड़क अर्थात जिला सड़कों या राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों तक ले जाते हैं। लिंक रूट वे सड़कें हैं जो किसी एक बसावट या बसावटों के समूह को बाजार केन्द्रों तक जाने वाली मुख्य सड़कों या जिला सड़कों से जोड़ती हैं। लिंक रूटों का अंत आमतौर पर बसावटों पर होता है, जबकि थ्रू रूट दो या अधिक लिंक रूटों के संगम से उत्पन्न होते हैं और किसी प्रमुख सड़क या बाजार केंद्र पर निकलते हैं।

कोर नेटवर्क सभी उद्देश्यों के लिए सबसे सुविधाजनक या किफायती मार्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। चूंकि, अध्ययनों से पता चलता है कि 85-90% ग्रामीण यात्राएं बाजार केंद्रों तक होती हैं, इसलिए कोर नेटवर्क विशेष रूप से दुर्लभ संसाधनों के संदर्भ में निवेश और प्रबंधन उद्देश्यों के लिए एक लागत प्रभावी वैचारिक ढांचा होने की संभावना है।

3.6 बसावट की जनसंख्या आकार निर्धारण के लिए जनगणना 2011 में दर्ज की गई जनसंख्या आधार होगी। 500 मीटर (पहाड़ियों के मामले में पथ दूरी के 1.5 किमी) के दायरे में सभी बसावटों की जनसंख्या को जनसंख्या आकार निर्धारित करने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा। पहाड़ी राज्यों (जैसा कि गृह विभाग द्वारा पहचाना गया है) में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ब्लॉकों में, हालांकि, 10 किलोमीटर की पथ दूरी के भीतर सभी बसावटों को इस उद्देश्य के लिए एक समूह के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में क्लस्टर अप्रोच को अंतर्राष्ट्रीय सीमा ब्लॉकों से राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिलों तक विस्तारित किया गया है जिसमें 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर की जनसंख्या को शामिल किया गया है और पात्रता के लिए क्लस्टर के रूप में माना गया है। यह क्लस्टर अप्रोच बड़ी संख्या में बसावटों, विशेष रूप से पहाड़ी/पर्वतीय क्षेत्रों में संपर्कता के प्रावधान को सक्षम करेगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या को सक्षम राज्य विभाग/क्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना है।

3.7 पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों को निकटवर्ती बसावटों से जोड़ा जाना है जो पहले से ही बारहमासी सड़क से जुड़ी हुई हैं या किसी अन्य विद्यमान बारहमासी सड़क से जुड़ी हुई

हैं, ताकि सड़क संपर्क रहित बसावटों में अनुपलब्ध सेवाएं (शैक्षणिक, स्वास्थ्य, विपणन सुविधाएं आदि) निवासियों को उपलब्ध हो सकें।

3.8 पीएमजीएसवाई में केवल एकल सड़क-संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यदि कोई बसावट पहले से ही बारहमासी सड़क के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो उस बसावट के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कोई नया काम नहीं किया जा सकता है।

3.9 पात्र सड़क संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी संपर्कता उपलब्ध कराने को नई संपर्कता कहा जाएगा। संपर्कता के बिना/पर्याप्त सी.डी. के साथ/बिना मिट्टी के ढांचे के माध्यम से संपर्कता वाली बसावटें पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत संपर्कता के लिए पात्र होंगी। पहाड़ी सड़कों में जहाँ पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत स्टेज-I संरचना का निर्माण किया गया है, लेकिन कोई क्रस्ट (सब-बेस/खुरदुरा बेस/ खुरदुरा बिटुमिनस/ कंक्रीट फुटपाथ) प्रदान नहीं किया गया है, वे सड़कें भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र होंगी |

3.10 राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के माध्यम से पीएमजीएसवाई के लिए मौजूदा कार्यान्वयन व्यवस्था पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत जारी रहेगी।

भाग - II ग्रामीण सड़कों की योजना, वित्तपोषण, निर्माण, निगरानी और रखरखाव

4. वित्तपोषण और आवंटन

4.1 लागत साझाकरण पद्धति:

(i) पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत, केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए निर्माण लागत का लागत-साझाकरण पद्धति निम्नानुसार होगा:

(क) पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्य एवं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश	60% केंद्र और 40% राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
(ख) जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा	90% केंद्र और 10% राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के मामले में	
(ग) विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश	100% केंद्र

(ii) निर्माण के पश्चात् प्रारम्भिक 5 वर्षों के लिए नियमित रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण, विशेष मरम्मत और आपातकालीन रखरखाव सहित अगले 5 वर्षों के लिए रखरखाव की लागत पूरी तरह से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को धनराशि जारी करने के लिए व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई-IV को "एसएनए स्पर्श" मॉडल के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।

5. ग्रामीण सड़कों की योजना बनाना और परियोजना प्रस्ताव तैयार करना

5.1 पीएमजीएसवाई-IV के उद्देश्यों को व्यवस्थित और लागत प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए उचित नियोजन आवश्यक है। इसके लिए जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) में संशोधन, सर्वेक्षण, प्राथमिकता के साथ प्रस्ताव तैयार करना, संरेखण को अंतिम रूप देना और प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना आवश्यक है।

5.2 डीआरआरपी सभी ग्रामीण सड़कों और बसावटों की एक विस्तृत सूची है, चाहे उनकी संयोजन स्थिति या निर्माण चरण कुछ भी हो। इस डीआरआरपी को जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के साथ बसावटों को दिखाते हुए सभी ग्रामीण सड़कों को आच्छादित करने के लिए अद्यतन किया जाना है। जिले की समस्त सड़कों को बसावटों के साथ-साथ पीएमजीएसवाई सड़कों के कोर नेटवर्क (मौजूदा और आवश्यकता) की मैपिंग के उद्देश्य से डीआरआरपी को अपडेट किया जाएगा। एनआरआईडीए ने डीआरआरपी और कोर नेटवर्क तैयार करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित प्लेटफॉर्म "जियोसड़क" को लागू किया है। राज्य डीआरआरपी के आच्छादन को सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) में बसावटों को सत्यापित करेंगे और यदि वे पहले से ओएमएमएएस का भाग नहीं हैं तो उनको ओएमएमएएस से जोड़ा जायेगा। संशोधित डीआरआरपी का डेटा ओएमएमएएस पर डाला जाएगा और संशोधित डीआरआरपी का संरेखण जियोसड़क पर होगा। जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) तैयार करने के लिए पूर्व निर्देशों को दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में माना जाएगा और एनआरआईडीए द्वारा आवश्यक सीमा तक संशोधित किया जाएगा।

5.3 "पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप" नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य सड़क संपर्क रहित पात्र बसावटों के लिए सड़कों के संभावित संरेखण की पहचान करना है। ट्रांसेक्ट वॉक से प्राप्त आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण के लिए व्यापक डेटाबेस वाला पीएम गति शक्ति पोर्टल उपलब्ध है और यह प्रारंभिक डीपीआर विकसित करने में सुविधा प्रदान करेगा। जियो सड़क पर अपलोड करने से पहले राज्य स्तर पर एकत्रित आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि जांचे गए प्रस्ताव पीएमजीएसवाई-IV के उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

5.4 परियोजना प्रस्ताव तैयार करना-विस्तृत नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल)कोर नेटवर्क ही पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों के चयन का एकमात्र आधार है। एक बार कोर नेटवर्क तैयार हो जाने के बाद, राज्यों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी प्रस्तावित सड़क संपर्कों (सड़क कोड, बसावटों के कोड से जुड़ने वाले बसावटों के नाम, सेवा की गई जनसंख्या और लंबाई) की ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यापक नई संपर्कता प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) तैयार करनी होगी। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत शामिल की जाने वाली संपर्क रहित बसावटों को भारत सरकार की अभिसरण योजनाओं के अंतर्गत चिन्हांकन/प्राथमिकता के आधार पर तथा उसके बाद पीएमजीएसवाई-I के दिशा-निर्देशों के आधार पर नई संपर्कता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के उद्देश्यों के अनुसार पीएमजीएसवाई-IV आकांक्षी ब्लॉकों के आदिवासी गांवों और उच्च आदिवासी सघनता और कम विकास वाले क्षेत्रों अर्थात् 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 500 की जनसंख्या वाले और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वाले आदिवासी बहुल गाँवों को प्राथमिकता देगा। इसलिए सीएनसीपीएल को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में समूहबद्ध किया जाएगा:

प्राथमिकता सं.	जनसंख्या का आकार
I	धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार 500 और 50% या अधिक एसटी
II	पीएमजीएसवाई-IV के अनुसार पात्र जनसंख्या का आकार और ग्रामीण सड़क घटक के साथ केंद्र सरकार की अभिसरण योजनाओं के अंतर्गत (जैसा कि समय-समय पर डीओआरडी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है)
II	1000+
III	500-999
IV	250-499
V	100-249

सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण सड़क कार्यों को प्राथमिकता पर लेने के संबंध में यदि कोई जानकारी राज्य गृह विभाग द्वारा दी गई हो तो उसे भी पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत सड़क कार्यों की प्राथमिकता तय करने में ध्यान में रखा जाएगा।

सीएनसीपीएल सूची निम्नलिखित प्रारूप में तैयार की जाएगी:

क्र. सं.	सड़क का नाम	माध्यम/संपर्क माध्यम द्वारा (टीआर)/ (एलआर)	सीएन में कोड	लंबाई	सेवा प्राप्त जनसंख्या	बसावटों को जोड़ा जाना	वर्तमान स्थिति (मिट्टी की पटरी, आदि)	संबद्ध टीआर का नाम और संख्या

5.5 सीएनसीपीएल को तैयार होने और सत्यापित होने के बाद जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। संसद सदस्यों/विधायकों को सीएनसीपीएल की एक प्रति दी जाएगी और उनके सुझावों तथा निचले स्तर की पंचायती राज संस्थाओं के सुझावों पर जिला पंचायत द्वारा पूर्ण विचार किया जाएगा तथा उसे तदानुसार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

5.6 जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन के पश्चात प्रस्ताव परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) द्वारा एसआरआरडीए को भेजे जाएंगे। पीआईयू संबंधित सांसद की सहमति से प्रारूप एमपी-I में सांसदों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा तथा प्रारूप एमपी-II में प्राथमिकता तथा अन्य विवरण दर्शाते हुए उस पर की गई कार्रवाई का विवरण तैयार करेगा तथा प्रस्तावों के साथ भेजेगा। ऐसे सभी मामलों में जहां सांसद का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, जिला पंचायत द्वारा एमपी-II प्रारूप में दिए गए कारणों के आधार पर ठोस कारण बताए जाएंगे।

5.7 एसआरआरडीए प्रस्तावों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और उन्हें एमपी-I और एमपी-II विवरणों के साथ राज्य स्तरीय स्थायी समिति के समक्ष रखेगा।

5.8 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) प्रस्तावों की जांच करेगी ताकि यह देखा जा सके कि वे दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं और संसद सदस्यों (एमपी) के प्रस्तावों पर पूरा

विचार किया गया है। उन सभी मामलों में जहां किसी सांसद का प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, संबंधित सांसद को ठोस कारण बताए जाएंगे और इन्हें एसएलएससी की कार्यवाही में दर्ज किया जाएगा।

राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा जांच के बाद, पीआईयू प्रत्येक प्रस्तावित सड़क कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेंगे, जो डीपीआर तैयार करने के लिए मैनुअल और एनआरआईडीए द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

6. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना

6.1 डीपीआर की तैयारी शुरू करते समय पीआईयू ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करेगा ताकि सबसे उपयुक्त संरेखण निर्धारित किया जा सके, भूमि उपलब्धता (वन भूमि सहित) के मुद्दों को सुलझाया जा सके, विशेषतया सड़क चौड़ीकरण/संरेखण में मामूली बदलाव आदि के कारण, वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा जा सके, किसी भी प्रतिकूल सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके और कार्यक्रम में आवश्यक सामुदायिक भागीदारी प्राप्त की जा सके। इस उद्देश्य के लिए, पीआईयू निम्नानुसार एक औपचारिक ट्रांजेक्ट वॉक आयोजित करेगा:

i. ट्रांजेक्ट वॉक का आयोजन सहायक अभियंता द्वारा किया जाएगा, जिसमें पटवारी, स्थानीय पुलिस थानेदार या यातायात से संबंधित उनके प्रतिनिधि, पंचायत/वार्ड के प्रधान/पंच और मध्यवर्ती तथा जिला पंचायत के स्थानीय सदस्य, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता, महिला पंचायती राज संस्था के सदस्य तथा महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
परियोजना से प्रभावित व्यक्ति (यदि कोई हो) तथा रेंज वन अधिकारी या उनके प्रतिनिधि (यदि आवश्यक हो तो वन/वन्यजीव मंजूरी के लिए) भी इसमें शामिल होंगे।

ii. वॉक के दौरान संरेखण में मामूली परिवर्तन, सड़क और वृक्षारोपण के लिए भूमि की आवश्यकता, भूमि मालिकों पर उनके प्रभाव आदि से संबंधित मुद्दों पर उपस्थित स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी।

iii. वनस्पति, मिट्टी, पानी आदि पर पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान की जाएगी और समाधान किया जाएगा।

iv. प्रति किमी कम से कम दस डिजिटल फोटोग्राफ और पूरे ट्रांज़ेक्ट वॉक की वीडियोग्राफी और ग्राम सभा की बैठक की कुछ डिजिटल तस्वीरें ली जाएंगी।

v. वॉक के दौरान, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को अपने विचार रखने का उचित अवसर दिया जाएगा और उन्हें पहले से लिखित सूचना दी जानी चाहिए।

6.2 ट्रांजेक्ट वॉक के अंत में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी और वॉक के दौरान उठने वाले मुद्दों और मुद्दों को हल करने के लिए की गई/प्रस्तावित कार्रवाई को रिकॉर्ड करने के बाद संरेखण को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त के रूप में लिखा जाएगा जिस पर प्रधान/पंच, मध्यवर्ती/जिला पंचायत सदस्य, यदि मौजूद हों, ग्राम पंचायत के सचिव, अन्य अधिकारी और उपस्थित ग्राम सभा सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। इन कार्यवृत्तों की एक प्रति और ट्रांसेक्ट वॉक के फोटोग्राफिक और वीडियो ग्राफिक रिकॉर्ड को अंतिम डीपीआर के साथ संलग्न किया जाएगा।

6.3 डीपीआर को राज्य सरकार द्वारा पीएम गतिशक्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर वास्तविक जमीनी सर्वेक्षण के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम संरेखण को जियो सड़क पर दर्ज/सही किया जाएगा और डीपीआर के लिए तकनीकी आदि रिपोर्ट तैयार करने के लिए पीएम गति शक्ति योजना उपकरण द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। एनआरआईडीए स्पष्ट दिशा-निर्देश और विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो पीएम गतिशक्ति का उपयोग करके डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक है।

6.4 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत सड़कों के लिए डीपीआर में एनआरआईडीए द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित सड़क सुरक्षा और पहुंच मानकों को सावधानीपूर्वक सुनिश्चित करने के उपाय शामिल किए जाएंगे जिसमें विशेष रूप से सक्षम सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच शामिल है। ग्रामीण सड़क निर्माण में उचित टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री सहित हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा ताकि लागत प्रभावी और तेज निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। फॉर्मेशन कटिंग आदि द्वारा प्राप्त उपयुक्त सामग्री के उपयोग के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-IV की डीपीआर तैयार करते समय सड़क निर्माण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सर्वोत्तम पद्धतियों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी, सड़कों में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग, पैनलयुक्त सीमेंट कंक्रीट, सेल-भरे कंक्रीट प्रौद्योगिकियां और स्थिरीकरण तकनीकें आदि। निर्माण अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट जैसे फ्लाई ऐश, स्टील स्लैग आदि के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नई/वैकल्पिक

प्रौद्योगिकियां लागत प्रभावी, टिकाऊ और उद्देश्य आधारित हों। सड़क निर्माण में किसी भी नई तकनीक को अपनाने के लिए डीपीआर चरण में किसी विशेष तकनीक को चुनने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए जिसमें उस तकनीक के उपयोग से होने वाले लाभ भी शामिल हों। निर्माण के बाद प्रौद्योगिकी मूल्यांकन किया जाएगा ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उल्लिखित उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।

6.5 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कें संबंधित राजस्व गांव के एलजीडी कोड से जुड़ी होंगी। वर्तमान में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों की पहचान के लिए एक विशिष्ट आईडी है जिसमें सड़क के आरंभ और अंत का विवरण होता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण सड़क नेटवर्क के प्रबंधन के लिए इस आईडी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

6.6 इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों पर ही पुलिया/कॉजवे और पुलों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी। लंबे स्पैन के पुलों (एलएसबी) (सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम लंबाई 150 मीटर और विशेष क्षेत्रों में 200 मीटर) के प्रस्ताव को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। हालांकि, इस सीमा से अधिक लंबाई वाले पुल की लागत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की जाएगी। इन लंबे स्पैन के पुलों के लिए अलग-अलग डीपीआर तैयार किये जायेंगे और उन्हें सड़क की डीपीआर के साथ ही मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पुलों और अन्य क्रॉस-ड्रेनेज कार्यों के लिए डीपीआर तैयार करते समय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित दरों की वर्तमान अनुसूची (एसओआर) का उपयोग किया जाएगा।

6.7 लंबे स्पैन के पुलों के लिए परियोजना तैयार किए जाने के दौरान एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि पुल के स्थल का निरीक्षण पीआईयू, अधीक्षण अभियंता या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी या एसआरआरडीए और राज्य तकनीकी एजेंसी (एसटीए)/प्रमुख तकनीकी एजेंसी (पीटीए) द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पुल विशेषज्ञ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्थल का निर्धारण, पुल के प्रकार और अन्य तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि लंबे स्पैन के पुलों के विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग पेशेवर रूप से बनाए जाएं और डीपीआर तैयार करते समय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)/केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई)/राज्य डिजाइन सेल जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा उनकी जांच की जाए। जांचे-परखे संरचनात्मक डिजाइन के साथ ऐसी डीपीआर समग्र जांच और स्थलीय भ्रमण के आधार पर किसी विशिष्ट अवलोकन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण/पीटीए को सौंपी जाएगी। एलएसबी का वास्तविक निर्माण शुरू होने से पहले, संरचनात्मक डिजाइन की वास्तविक साइट की स्थितियों

और अन्य पुष्टिकारक भू-तकनीकी जांच के आधार पर किसी आईआईटी/एनआईटी/राज्य डिजाइन सेल द्वारा प्रूफ चेक की जाएगी।

6.8 पीआईयू विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कें ग्रामीण सड़कों के लिए डीओआरडी के विनिर्देशों, आईआरसी के ग्रामीण सड़क मैनुअल (आईआरसी: एसपी:20 नवीनतम संस्करण) और जहां आवश्यक हो, हिल रोड मैनुअल (आईआरसी: एसपी:48 नवीनतम संस्करण) और आईआरसी कोड के अन्य नवीनतम संस्करण, सड़क चिह्नों, फुटपाथ चिह्नों, दुर्घटना अवरोधकों, निर्माण क्षेत्रों में सुरक्षा आदि से संबंधित मैनुअल में दिए गए तकनीकी विनिर्देशों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों को पूरा करेंगी।

(ii) मौजूदा संरेखण पर यातायात सर्वेक्षण सावधानीपूर्वक किया जाएगा। सड़क के लिए डिजाइन और सतह का चयन अन्य बातों के साथ-साथ यातायात, मिट्टी के प्रकार और वर्षा जैसे कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो कि कम मात्रा वाले ग्रामीण सड़कों के लिए लचीले फुटपाथों के डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों (आईआरसी: एसपी: 72 नवीनतम संस्करण) और सख्त फुटपाथों के डिजाइन के लिए दिशानिर्देशों (आईआरसी: एसपी: 62-नवीनतम संस्करण) में निर्धारित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार होगा।

(iii) जहाँ सड़क किसी बसावट से होकर गुज़रती है वहाँ निर्मित क्षेत्र में और दोनों तरफ़ 50 मीटर तक सड़क को उचित रूप से डिज़ाइन किया जा सकता है, अधिमानतः पैनलयुक्त सीमेंट कंक्रीट सड़क या सेल-फ़िल्ड कंक्रीट फुटपाथ के रूप में। सड़क या आवासों को नुकसान से बचाने के लिए उचित साइड ड्रेन और क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी।

(iv) सड़क सुरक्षा: सड़क सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सड़कों पर उचित सड़क सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तावित सड़कों के विभिन्न चरणों (प्रारंभिक चरण/या विस्तृत डिजाइन चरण) पर सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करना विवेकपूर्ण है।

6.9 डीपीआर में एक अलग रखरखाव घटक भी प्रदान किया जाएगा जिसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से वित्तपोषित करेगी जिसमें 5 साल की नियमित रखरखाव लागत शामिल होगी। मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी) के प्रावधानों के अनुसार नियमित रखरखाव घटक को निर्माण के साथ ही उसी ठेकेदार को ठेके पर दिया जाएगा।

6.10 सर्वेक्षण और जांच, सुरक्षा लेखा परीक्षा और सामग्रियों के परीक्षण सहित डीपीआर तैयार करने की लागत परियोजना लागत का हिस्सा होगी और इसे मुख्य परियोजना के समान अनुपात में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच साझा किया जाएगा।

6.11 सड़कों के लिए विस्तृत अनुमान एनआरआईडीए द्वारा निर्धारित विनिर्देशों की पुस्तक और मानक डेटा बुक का उपयोग करके तैयार की गई दरों की अनुसूची (एसओआर) पर आधारित होंगे। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए दरों की अनुसूची (एसओआर) सालाना प्रकाशित की जाएगी और सभी ग्रामीण सड़कों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दरों की अनुसूची राज्य/सर्किल विशिष्ट हो सकती है और प्रकाशन से पहले एनआरआईडीए से इसकी जांच करवाई जाएगी।

6.12 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री पर रॉयल्टी की लागत को पूरा करने के लिए केंद्रीय हिस्से का उपयोग नहीं किया जाएगा।

6.13 एसआरआरडीए द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत या पूर्ण किए गए कार्य को पीएमजीएसवाई-IV में शामिल नहीं किया जाए।

6.14 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत

i. प्रत्येक परियोजना की लागत में निर्माण और प्रशासनिक लागत शामिल होगी। निर्माण की लागत और प्रशासनिक लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पैरा 3.1 में दिए गए अनुपात में साझा की जाएगी। हालांकि, निविदा प्रीमियम, उच्च विनिर्देश की लागत, वृद्धि की लागत, लागत में वृद्धि आदि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

ii. रखरखाव लागत पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

7. राज्य स्तरीय एजेंसियां

7.1 राज्य स्तरीय एजेंसियां पीएमजीएसवाई-III दिशा-निर्देशों के खंड 6 के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

7.2 पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन के लिए, एसआरआरडीए के पास एक विशेष जीआईएस सेल होगा जिसमें प्रतिबद्ध पात्र/प्रशिक्षित जीआईएस कर्मी होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसआरआरडीए में विभिन्न जीआईएस सक्षम आईटी समाधानों का उचित

उपयोग और निगरानी की जा रही है। एसआरआरडीए के अंतर्गत काम करने वाले आईटी नोडल अधिकारी को कार्यभार के आधार पर उपयुक्त कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

8. परियोजना प्रस्तावों की जांच

8.1 एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि डीआरआरपी में संशोधन की प्रक्रिया और विभिन्न आईटी प्लेटफार्मों के उपयोग के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव की तैयारी शुरू करने की सूचना राज्य एजेंसियों को प्रदान की जाए, ताकि राज्य एजेंसियां जांच के लिए योजना तैयार करने में सक्षम हो सकें।

8.2 ऑन-लाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियां करने के बाद, पीआईयू विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ वार्षिक प्रस्तावों को तैयार करने और अनुमानों की जांच के लिए एसटीए को भेजेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डीपीआर के सभी अपेक्षित विवरण ओएमएमएएस में दर्ज किए गए हैं ताकि एसटीए ऑनलाइन जांच पूरी कर सके।

8.3 यह सत्यापित करने के बाद कि डीपीआर ओएमएमएएस पर दर्ज की गई है, डीपीआर की जांच एसटीए द्वारा पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों, डीओआरडी विनिर्देशों, ग्रामीण सड़क मैनुअल और जहां आवश्यक हो, पहाड़ी सड़क मैनुअल और लागू दरों की अनुसूची के प्रकाश में की जाएगी। ऐसा करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (काली कपास मिट्टी / सोडिक मिट्टी या गांव के हिस्सों को छोड़कर) मिट्टी के परिवहन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। एसटीए विशेष रूप से निम्नलिखित की जांच करेगा:

(i) प्राथमिकता सूची का अनुरूपण

(ii) पीएमजीएसवाई ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप और ट्रांसेक्ट वॉक द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही

(iii) भूमि उपलब्धता और वन मंजूरी का प्रमाण पत्र

(iv) भू-तकनीकी रिपोर्ट सहित आवश्यक तकनीकी रिपोर्ट की उपस्थिति

(v) उचित रूप से किए गए यातायात सर्वेक्षण के अनुसार डिजाइन मानकों के अनुरूप

(vi) पुल के लिए अलग डीपीआर जहां पुल की लंबाई 15 मीटर से अधिक है

(vii) स्थानीय और सीमांत सामग्रियों, फ्लाई-ऐश, जलवायु अनियमितता और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित डिजाइन में संसाधन दक्षता

(viii) 5 साल के नियमित रखरखाव के लिए अनुमान तैयार करना, और आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण सहित आगे के पांच साल के नियमित रखरखाव के लिए, स्थिति के आकलन के आधार पर।

(ix) डिजाइन, अनुमान और डीपीआर के अभिन्न अंग के रूप में सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग उपाय।

8.4 चूंकि बनाई गई सड़कें संपर्कता प्रदान करने के लिए हैं इसलिए डिजाइन अनुमानित यातायात आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

8.5 डीपीआर की जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों और आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, एसटीए उन्हें मंजूरी देगा तथा तदनुसार ओएमएमएएस में प्रविष्टियां करेगा।

8.6 इसके बाद एसआरआरडीए संशोधित डीपीआर की सॉफ्ट कॉपी एनआरआईडीए को भेजेगा। एनआरआईडीए, एसआरआरडीए से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्ताव कार्यक्रम दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं और उन्हें एसटीए और पीटीए द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है। डीपीआर की जांच ओएमएमएएस डेटा प्रविष्टियों के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक प्रस्ताव ग्रामीण संपर्कता प्रभाग द्वारा जांच के बाद विचार के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पूर्ण हैं और उन्हें मंजूरी के लिए विचार किया जा सकता है।

8.7 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों की सभी स्तरों पर 100% ऑनलाइन जांच की जाएगी। क्रियान्वयन एजेंसियां एसटीए स्तर पर जांच के लिए परियोजनाओं को ओएमएमएएस पर अपलोड करेंगी, जिसमें अनुमान और रेखाचित्र सहित सभी विवरण शामिल होंगे। एसटीए परियोजनाओं की ऑनलाइन जांच करेगी और उन्हें ऑनलाइन सिफारिश करेगी। वे प्रस्ताव पर टिप्पणी भी दे सकते हैं। पीटीए, एसटीए द्वारा जांचे गए प्रस्तावों में से कम से कम 10% की नमूना आधार पर आगे जांच करेंगे, हालांकि यह अनुमोदन प्रक्रिया के समानांतर किया जाएगा और इसका उपयोग मुख्य रूप से डीपीआर की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाएगा। एनआरआईडीए प्रतिनिधि आधार पर 15% डीपीआर की जांच करेगा, जहां भी आवश्यक होगा, क्षेत्रीय दौरे करेगा तथा विस्तृत तकनीकी जांच नोट के साथ जांची गई डीपीआर की सूची तैयार करेगा।

9. अधिकार प्राप्त समिति

9.1 केन्द्रीय स्तर पर एनआरआरडीए द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त वार्षिक परियोजना प्रस्तावों पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के जिन प्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, उन्हें आवश्यकतानुसार बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अधिकार प्राप्त समिति राज्य कार्यान्वयन तंत्र की संस्थागत तैयारियों की समीक्षा करेगी, विशेष रूप से तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों, उपलब्ध अनुबंध क्षमता और पहले से निर्मित परिसंपत्तियों को बनाए रखने की राज्य की क्षमता की समीक्षा करेगी। इसके बाद अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें ग्रामीण विकास मंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी और यदि प्रस्ताव कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी।

9.2 विभाग प्रस्तावों की मंजूरी के बारे में राज्य सरकार को सूचित करेगा। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभाग द्वारा मंजूरी का मतलब प्रस्तावों की प्रशासनिक या तकनीकी मंजूरी नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार/एसआरआरडीए की प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। निष्पादन एजेंसी का प्राधिकृत अधिकारी कार्यों की निविदा के लिए कार्रवाई करने से पहले प्रत्येक डीपीआर पर तकनीकी मंजूरी दर्ज करेगा।

9.3 एक बार मंजूरी मिलने के बाद जिला पंचायत, एसटीए और एसएलएससी की सहमति प्राप्त किए बिना सड़क के संरेखण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9.4 अधिकार प्राप्त समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. सचिव (ग्रामीण विकास)- अध्यक्ष
ii. वित्तीय सलाहकार (ग्रामीण विकास)- सदस्य
iii. सलाहकार, नीति आयोग- सदस्य
iv. निदेशक, सीआरआरआई- सदस्य
v. महानिदेशक, सड़क, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय- सदस्य
vi. महासचिव, आईआरसी- सदस्य
vii. अपर सचिव/संयुक्त सचिव (आरसी)- सदस्य संयोजक
viii. राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे

10. कार्यों की निविदा प्रक्रिया

10.1 वार्षिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने और तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद निष्पादन एजेंसी निविदाएँ आमंत्रित करेगी। सभी परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा लगाने की सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत कार्यों की निविदा जीईपीएनआईसी या एनआरआईडीए द्वारा अधिसूचित किसी अन्य ई-निविदा पोर्टल पर ई-निविदा के माध्यम से की जाएगी। एसटीए द्वारा जांची गई और विभाग द्वारा मंजूरी दी गई सभी परियोजनाओं के लिए निविदा जारी की जाएगी, तथा एनआरआईडीए की पूर्व अनुमोदन के बिना कार्य के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य सभी निविदाओं और इस मामले में जारी किए गए आगे के निर्देशों के लिए एनआरआईडीए द्वारा निर्धारित मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी) का पालन करेंगे।

10.2 चूंकि पीएमजीएसवाई में समय और गुणवत्ता पर बहुत जोर दिया जाता है इसलिए राज्यों को प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निविदा क्षमता का वास्तविक आकलन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी निविदा सूचनाएं जीईपीएनआईसी (GePNIC) पोर्टल अर्थात् https://pmgsytenders.gov.in/ के अंतर्गत इंटरनेट पर डाल दिए जाएं। एसबीडी के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए निविदा क्षमता का केंद्रीकृत मूल्यांकन किया जाएगा। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य एसआरआरडीए को निविदाएँ आमंत्रित करने और निर्णय लेने का अधिकार दे सकते हैं।

10.3 निविदा और अनुबंध प्रक्रिया और समय अवधि एसबीडी के अनुसार होगी। राज्य को सदैव ओएमएमएएस टेंडरिंग मॉड्यूल को अपडेट करना होगा। किए गए अनुबंधों का विवरण भी तुरंत डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा।

10.4 **लागत भिन्नताएँ**: डीपीआर उचित जमीनी सत्यापन के बाद तैयार की जाएगी जिससे कार्य के दायरे में परिवर्तन की आवश्यकता न्यूनतम हो जाएगी। एक बार जब ग्रामीण विकास विभाग परियोजना स्वीकृति जारी कर देता है, तो राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के मुख्य अभियंता (सीई) प्रत्येक कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी करते हैं। तकनीकी स्वीकृति की तैयारी के दौरान मूल रूप से स्वीकृत राशि की तुलना में लागत में भिन्नता हो सकती है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

i. **मूल स्वीकृत राशि के 10% के भीतर परिवर्तन:** यदि स्थल-विशिष्ट स्थितियों या अन्य कारकों के कारण लागत में भिन्नता होती है जो मूल स्वीकृत राशि के 10% के भीतर है, तो निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

क) अतिरिक्त राशि को उस बैच के लिए जिला स्तर पर मूल रूप से स्वीकृत लागत में समाहित किया जा सकता है।

ख) यदि अतिरिक्त राशि को जिला स्तर पर समाहित नहीं किया जा सकता है, तो उसे उसी बैच के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वीकृत लागत के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है। यदि उसी बैच के लिए स्वीकृत लागत के भीतर समायोजन संभव नहीं है, तो अतिरिक्त राशि राज्य द्वारा वहन की जाएगी।

ग) एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि परिवर्तनों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ ओएमएमएएस में दर्ज किया जाए।

ii. **स्वीकृत लागत से 10% से अधिक का अंतर:** यदि परिवर्तन मूल रूप से स्वीकृत लागत से 10% (या तो अधिक या कम) से अधिक है, तो तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पहले एनआरआईडीए से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

iii. **कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और तकनीकी मंजूरी में विविधता:** कार्य के मूल दायरे* में परिवर्तन के कारण तकनीकी मंजूरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वह राशि कितनी भी हो, तकनीकी मंजूरी जारी करने से पहले एनआरआईडीए से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है।

iv. **अन्य लागत वृद्धि:** यदि निविदा प्रीमियम के अलावा अन्य कारकों (जैसे कि स्थल की अप्रत्याशित स्थिति या अतिरिक्त कार्य) के कारण पूर्णता लागत मूल तकनीकी रूप से स्वीकृत राशि से अधिक हो जाती है तो एसआरआरडीए को एनआरआईडीए से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

v. **निविदा प्रीमियम:** वार्षिक राज्य दर अनुसूची के उपयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि औसतन निविदा मूल्य अनुमानित मूल्य के लगभग बराबर होगा। समय की अधिकता, मध्यस्थता/न्यायिक निर्णय से संबंधित सभी लागतें राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की जाएंगी। यदि प्राप्त बोलियों का मूल्य विभाग द्वारा स्वीकृत अनुमान से अधिक है, तो एक बैच में स्वीकृत कार्यों के लिए पूरे जिले के लिए एकत्रित अंतर (निविदा प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[*कार्य का मूल दायरा परियोजना अनुमोदन के समय परियोजना दस्तावेज़ीकरण में उल्लिखित कार्यों, गतिविधियों, मात्राओं और वितरण पात्र वस्तुओं के सेट को संदर्भित करता है। इसमें शामिल हैं:

i. **परियोजना गतिविधियाँ:** परियोजना में शुरू में परिभाषित विशिष्ट कार्य, निर्माण प्रक्रियाएँ और उद्देश्य, जैसे सड़क निर्माण, बुनियादी ढाँचा विकास या अन्य संबद्ध कार्य।
ii. **मात्राएँ:** प्रारंभिक परियोजना डिज़ाइन और विनिर्देशों के आधार पर आवश्यक सामग्री, श्रम और संसाधनों की अनुमानित मात्रा।
iii. **विनिर्देश और मानक:** परियोजना की गुणवत्ता और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए निर्धारित तकनीकी विनिर्देश, मानक और दिशानिर्देश।
iv. **समयसीमा:** कार्य या विशिष्ट परियोजना चरणों को पूरा करने के लिए अनुमोदित समयसीमा।
v. **लागत अनुमान:** निर्माण, सामग्री, श्रम और ऊपरी लागत सहित संपूर्ण कार्यक्षेत्र के लिए मूल वित्तीय आवंटन।

परिवर्तनों के संदर्भ में, स्थल-विशिष्ट स्थितियों जैसे भूभाग में परिवर्तन, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक स्थितियों, या निष्पादन के दौरान सामने आए अन्य अप्रत्याशित कारकों के कारण आवश्यक तकनीकी परिवर्तनों को कार्य के मूल दायरे का हिस्सा माना जाता है। ये परिवर्तन अनुमोदित उद्देश्यों के अनुसार परियोजना के सफल समापन को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं, भले ही इनके परिणामस्वरूप प्रारंभिक अनुमानों में भिन्नता हो सकती है। स्थल की स्थितियों के कारण मात्रा, विनिर्देशों या कार्यप्रणाली में कोई भी समायोजन जो परियोजना के मूल उद्देश्यों और प्रयोजन के साथ संरेखित हो, को दायरे का हिस्सा माना जाएगा।]

10.5 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत कामों को कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर पूरा करना आवश्यक है। हालांकि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में, राज्य अधिकतम 18 कार्य महीनों की अवधि की अनुमति दे सकते हैं। यह देखा गया है कि निविदा प्रक्रिया और अनुमोदन में एनआरआईडीए द्वारा निर्धारित समय से कहीं अधिक समय लगता है। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि निविदा प्रक्रिया और उसका अनुमोदन आवश्यक रूप से मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किया जाए। यदि एसआरआरडीए अधिकतम 120 दिनों की अवधि के भीतर कार्य आवंटित करने में सक्षम नहीं

है, तो निविदा प्रक्रिया में देरी की सूचना एनआरआईडीए को भेजी जाएगी, जो देरी के कारणों का विश्लेषण करेगी और मामले को ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करेगी। यदि विलम्ब अनुचित हो तो ग्रामीण विकास विभाग उस कार्य की मंजूरी रद्द कर सकता है।

10.6 कार्य आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर सड़क निर्माण स्थल पर पीएमजीएसवाई के लोगो सहित साइनबोर्ड लगाए जाएंगे। साइनबोर्ड पर कार्यक्रम का नाम (पीएमजीएसवाई-IV), सड़क का नाम, उसकी लंबाई, अनुमानित लागत, निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि और निर्माण पूरा होने की नियत तिथि तथा कार्यान्वयन ठेकेदार का नाम अंकित होगा। यह वांछनीय है कि निर्माण पूरा होने के बाद यह सड़क के दोनों छोर पर स्थायी ईंट-चिनाई/कंक्रीट संरचना के रूप में हो।

11. कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयाँ

11.1 जिला स्तर पर कार्यक्रम का समन्वयन और कार्यान्वयन पर्याप्त तकनीकी कर्मचारियों युक्त एक समर्पित पीआईयू के माध्यम से किया जाएगा | सभी पीआईयू उपलब्ध कर्मचारियों में से या अन्य समान विभागों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से सक्षम तकनीकी कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

11.2 सभी कर्मचारियों का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किसी भी कर्मचारी पर व्यय का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, पीआईयू के प्रशासनिक और यात्रा व्यय तथा एस.आर.आर.डी.ए. लागतों को निम्नलिखित सीमा तक पूरा किया जाएगा, तथा किसी भी अतिरिक्त लागत को राज्य सरकार वहन करेगी:

मद	वार्षिक आबंटन का प्रतिशत
(क) पीआईयू के लिए प्रशासनिक व्यय	0.75%
(ख) पीआईयू का यात्रा व्यय	0.50%
(ग) प्रशासनिक एवं यात्रा व्यय (एसआरआरडीए)	0.25%
(घ) स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी (द्वितीय स्तर)	0.50%*

** एलएसबी साइट के संयुक्त निरीक्षण के लिए एसटीए का मानदेय इसी राशि में से पूरा किया जाएगा।*

इस प्रयोजन के लिए:

i. प्रशासनिक व्यय में, सामान्य कार्यालय व्यय के अतिरिक्त ओएमएमएएस के संचालन, कंप्यूटर और उनके रखरखाव, जिसमें इंटरनेट शुल्क और डेटा प्रविष्टि लागत के संबंध में किए गए सभी व्यय शामिल होंगे। निष्पादन और प्रबंधन संबंधी कार्यों की

आउटसोर्सिंग के कारण भुगतान की गई राशि भी निर्धारित सीमाओं के भीतर प्रशासनिक व्यय से भुगतान की जा सकती है। हालांकि वाहनों की खरीद, वेतन और मजदूरी का भुगतान और भवनों की खरीद या निर्माण पर व्यय की अनुमति नहीं है।

ii. एसआरआरडीए और पीआईयू के कंप्यूटर हार्डवेयर का उन्नयन/प्रतिस्थापन और साथ ही ओएमएमएएस के संचालन के लिए नव स्थापित पीआईयू को हार्डवेयर का प्रावधान प्रशासनिक व्यय की एक स्वीकार्य मद होगी।

iii. जिला, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर नव स्थापित प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय के साथ-साथ इन स्तरों पर मौजूदा प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए भी प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत व्यय की एक स्वीकार्य मद होगी।

iv. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को निधियों के प्रवाह के लिए एसएनए स्पर्श मॉडल का उपयोग प्रशासनिक व्यय के लिए भी किया जाएगा। यदि कार्य समाप्त हो जाता है या बाद में छोड़ दिया जाता है, तो व्यय की अगली किश्त जारी करते समय आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

v. प्रशासनिक और यात्रा व्यय का जारी किया जाना निम्नलिखित पर निर्भर करेगा:

क. ओएमएमएएस मॉड्यूल का निरंतर अद्यतनीकरण

ख. पीआईयू की उचित निष्ठा और एसआरआरडीए से उसका उचित संबंध; और

ग. नोडल आईटी अधिकारी, जीआईएस सलाहकार, राज्य गुणवत्ता समन्वयक, वित्तीय नियंत्रक, अधिकार प्राप्त अधिकारी, रखरखाव, सुरक्षा और प्रशिक्षण अधिकारी सहित एसआरआरडीए स्तर पर पर्याप्त संस्थागत तंत्र।

घ. प्रशासनिक व्यय निधि के अंतर्गत निधि जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने तथा एसआरआरडीए को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी:-

क. प्रशासनिक व्यय निधि के अंतर्गत राज्य की पात्रता राज्य के वार्षिक आवंटन के आधार पर तय की जाएगी। राज्य की पात्रता राज्य के वार्षिक आवंटन का 2.0% होगी, जो मदवार अधिकतम सीमा के अधीन होगी तथा वार्षिक आवंटन का अभिन्न अंग होगी।

ख. प्रशासनिक व्यय निधि के अंतर्गत जारी की जाने वाली राशि ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी।

ग. प्रशासनिक व्यय निधि के अंतर्गत जारी की जाने वाली राशि को राज्यों द्वारा विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम घटक पर किए गए व्यय के अधिकतम

2.0% तक व्यय किया जाएगा, जो मदवार अधिकतम सीमा के अधीन होगी। अधिकतम सीमा से अधिक व्यय राज्य के हिस्से से पूरा किया जाएगा।

11.3 इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले सड़क कार्यों के लिए कोई एजेंसी शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। यदि निष्पादन एजेंसियां किसी भी रूप में शुल्क लगाती हैं, जैसे कि सेंटेज शुल्क आदि तो इसका वहन राज्य सरकार को करना होगा।

12. कार्यों का निष्पादन और अनुबंध प्रबंधन

12.1 कार्य के निष्पादन के आरंभ से पहले, एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के स्वीकृति पत्र में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को संकलित किया गया है और स्वीकृति पत्र जारी होने के 60 दिनों के भीतर ओएमएमएएस के माध्यम से एनआरआईडीए को प्रासंगिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। एनआरआईडीए हर महीने ऐसी रिपोर्टों को समेकित करेगा और समेकित रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करेगा।

12.2 प्रासंगिक परियोजनाओं को पीआईयू द्वारा निष्पादित किया जाएगा और कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 12 कार्य महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हालांकि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों/ब्लॉकों, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में, राज्य 18 कार्य महीनों की अवधि की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि केंद्रीय हिस्से पर कोई लागत वृद्धि न हो। प्रत्येक कार्य के लिए ठेकेदार से कार्ययोजना प्राप्त की जाएगी तथा उसे पीआईयू द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। भुगतान, कार्ययोजना के अनुमोदन तथा ओएमएमएएस पर अपलोड करने, ठेकेदार द्वारा अपेक्षित संख्या में इंजीनियरों की तैनाती तथा साइट पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के बाद ही किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) 12 महीनों की अवधि में 12 कार्य महीने शामिल होंगे। यदि मानसून या अन्य मौसमी कारकों के कारण निष्पादन की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो कार्ययोजना को मंजूरी देते समय निष्पादन की समय अवधि उपयुक्त रूप से निर्धारित की जा सकती है लेकिन किसी भी मामले में 18 कैलेंडर महीनों से अधिक नहीं होगी।

(ii) जहां एक पैकेज में एक से अधिक सड़क कार्य शामिल हैं, पैकेज को पूरा करने के लिए दिया गया कुल समय 18 कैलेंडर महीनों से अधिक नहीं होगा।

(iii) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों/ब्लॉकों के मामले में, कार्य पूरा करने के लिए 18 कैलेंडर महीनों

तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, लागत में वृद्धि के कारण कोई अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई कार्यक्रम निधि से पूरी नहीं की जाएगी।

(iv) इसी तरह साइट की स्थितियों के आधार पर 15 मीटर से अधिक लंबाई वाले क्रॉस ड्रेनेज कार्यों को पूरा करने के लिए 21-24 महीने की समय अवधि की अनुमति दी जाएगी। हालांकि लागत वृद्धि के कारण कोई अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान की गई कार्यक्रम निधि से पूरी नहीं की जाएगी। भविष्य में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के लिए आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए निविदा दस्तावेजों में इन शर्तों को शामिल किया जा सकता है।

(v) निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) और कार्य कार्यक्रम में दी गई समय अवधि का सख्ती से पालन किया जाएगा। चूंकि समय अनुबंध का सार है, इसलिए अनुबंध प्रावधानों के अनुसार देरी के मामलों में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

12.3 उपर्युक्त अनुसूची के साथ तथा 45 दिनों को औसत निविदा समय मानते हुए सभी स्वीकृत कार्य विभाग द्वारा मंजूरी के 20वें महीने के अंत में पूर्ण घोषित किए जा सकेंगे। आगामी वर्ष के स्वीकृत कार्यों की दूसरी किस्त जारी करने की पात्रता तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

12.4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निधियों की सुनिश्चित उपलब्धता है ताकि कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। कार्य के संतोषजनक निष्पादन के अधीन ठेकेदारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना निष्पादन एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी। देय भुगतान में देरी करने से बचा जाएगा। ठेकेदार के साथ अंतिम बिल का निपटान कार्यों के सफल निष्पादन की निगरानी के लिए मापदंडों में से एक होगा और कार्यों के वित्तीय समापन के ओमास पर डेटा प्रविष्टि, पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या की गणना करने की एकमात्र पद्धति होगी।

12.5 निविदाओं के अनुमोदन, एजेंसी (ठेकेदार) के निर्धारण और ठेकेदार के साथ समझौते के परिणामस्वरूप कार्य आदेश जारी होने पर, अनुबंध प्रबंधन की प्रक्रिया शुरू होगी और पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अनुबंध का उचित प्रबंधन किया जाए। पीआईयू द्वारा ठेकेदारों और सलाहकार (यदि तैनात हैं) के साथ नियमित अनुबंध समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी और निष्पादन से संबंधित मुद्दों जैसे देरी, गुणवत्ता

की कमी, निष्पादन में बाधा और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी और उनका विवरण तैयार किया जाएगा। समयबद्धता में देरी, गुणवत्ता के संबंध में अनुपालन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के मामले में, अनुबंध के विशेष खंडों का संदर्भ देते हुए अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को नोटिस जारी किए जाएंगे। ठेकेदार द्वारा पत्रों या अन्यथा के माध्यम से उठाए गए मुद्दे को ध्यान से संबोधित किया जाएगा और पीआईयू द्वारा लिखित रूप में समय पर जवाब दिया जाएगा। परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए न केवल पीआईयू बल्कि निष्पादन एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी बारीकी से निगरानी की जाएगी। यदि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या मौलिक उल्लंघन के कारण कार्य समाप्त किया जाना है तो पीआईयू अनुबंध के अनुसार उचित नोटिस देने के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

12.6 निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ठेकेदार द्वारा सड़कों का नियमित रखरखाव किया जाता है। नियमित रखरखाव की निगरानी के साथ-साथ सावधानीपूर्वक अनुबंध प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि पैराग्राफ 12.5 में दिए गए मौलिक उपाय नियमित रखरखाव कार्यों पर भी समान रूप से लागू हों।

12.7 पीएमजीएसवाई-IV हरित प्रौद्योगिकी के साथ कार्यों के निष्पादन को बढ़ावा देगा, लागत प्रभावी और तेज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, जहां भी संभव हो, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उपयुक्त स्थानीय सामग्री का उपयोग किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण सड़क निर्माण में काम की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी का उपयोग किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण अधिमानतः आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप देश में बनाए हुये हों।

12.8 गुणवत्ता बनाए रखने, कार्यों को समय पर पूरा करने और ग्रामीण सड़क नेटवर्क के रखरखाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रोत्साहन/दंडात्मक कार्य की योजनाएँ बना सकता है।

12.9 एनआरआईडीए प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता, दक्षता और पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के समय पर पूरा होने को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारदर्शी ठेकेदार रेटिंग प्रणाली के लिए व्यापक दिशा-निर्देश विकसित और जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, एनआरआईडीए पांच साल की दोष देयता अवधि (डीएलपी) और इसके बाद के 5 साल के लिए सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और विस्तृत दिशा-निर्देशों को लागू करेगा, निष्पादन-आधारित रखरखाव अनुबंध प्रणाली अपने 10 साल के डिजाइन जीवन में सड़कों के निरंतर निष्पादन को सुनिश्चित करती है। इसे ई-मार्ग मॉड्यूल के माध्यम से निष्पादित किया

जाएगा, जो पीएमजीएसवाई चरण IV के अंतर्गत स्वीकृत सभी चल रहे पात्र कार्यों और नई परियोजनाओं पर लागू होगा।

12.10 खरीद प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन, निष्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, ठेकेदारों को भुगतान जारी करने आदि से संबंधित कोई भी कार्य, जो ऊपर उल्लेखित नहीं है, डीओआरडी (एनआरआईडीए) द्वारा समय-समय पर पहले से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

13. राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी

13.1 ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यक्रम को परिचालन और प्रबंधन सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) की स्थापना की है। एनआरआईडीए अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित में सहायता प्रदान करेगा:

(i) डिजाइन एवं विनिर्देश तथा लागत मानदंड।

(ii) तकनीकी एजेंसियां

(iii) जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं

(iv) परियोजना प्रस्तावों की जांच

(v) गुणवत्ता निगरानी और गुणवत्ता आश्वासन

(vi) ऑनलाइन निगरानी सहित प्रगति की निगरानी

(vii) स्थानीय, सीमांत और नवीन सामग्रियों, जलवायु लचीलापन, हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित अनुसंधान एवं विकास।

(viii) मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और कौशल विकास

(ix) ई-मार्ग के माध्यम से परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

(x) सड़क सुरक्षा और सड़क सुरक्षा ऑडिट

(xi) संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकियां

(xii) भौगोलिक सूचना प्रणाली

(xiii) ई-मार्ग सहित रखरखाव प्रबंधन

13.2 सभी राज्य सरकारें राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) को सभी आवश्यक रिपोर्ट, डेटा और सूचना समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

13.3 एनआरआईडीए कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के कुशल और प्रभावी वितरण के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास में राज्यों का समर्थन करने के लिए बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में शामिल तकनीकी सहायता घटक का लाभ उठा सकता है।

14. गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

14.1 सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना उन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो कार्यक्रम को लागू कर रही हैं। निर्माण और रखरखाव दोनों के संबंध में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सभी कार्यों की प्रभावी निगरानी की जाएगी।

14.2 वर्तमान पीएमजीएसवाई वर्टिकल के अंतर्गत परिकल्पित तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए भी लागू होगा। राज्य सरकारें गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के पहले दो स्तरों के लिए जिम्मेदार होंगी। एनआरआईडीए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के तीसरे स्तर का प्रबंधन करेगा।

14.3 एनआरआईडीए ने गुणवत्ता नियंत्रण पर सामान्य दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और कार्य स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन पुस्तिका (दिसंबर 2016) निर्धारित की है। गुणवत्ता आश्वासन पुस्तिका में निर्धारित परीक्षणों के परिणामों वाले गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर को प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य रूप से बनाए रखा जाएगा। कार्य शुरू होने से पहले ठेकेदार द्वारा प्रत्येक पैकेज के लिए एक साइट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। जब तक प्रयोगशाला को विधिवत रूप से स्थापित और सुसज्जित नहीं किया जाता है, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं और प्रासंगिक विनिर्देशों के अनुसार संतोषजनक नहीं पाए जाते हैं, तब तक ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाएगा। ये विवरण कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और ओएमएमएएस पर अपलोड किए जाएंगे। मानक निविदा दस्तावेज में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और ठेकेदार द्वारा निष्पादन गारंटी के लिए उपयुक्त खंड शामिल किए जाएंगे।

14.4 प्रथम स्तर के रूप में पीआईयू की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियाँ और निष्पादन में कारीगरी निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हो। प्रथम स्तर के रूप में, पीआईयू ठेकेदार द्वारा स्थापित साइट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की निगरानी करेगा। पीआईयू ठेकेदार द्वारा स्थापित साइट लैब के स्थान को मंजूरी देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्धारित परीक्षण निर्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान पर निर्दिष्ट आवृत्ति के अनुसार किए जाएँ। फील्ड प्रयोगशाला के स्थान में किसी भी परिवर्तन को उपरोक्त उल्लिखित समान प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी दी जाएगी।

14.5 एई और ईई के स्तर के प्रथम स्तर के पर्यवेक्षी अधिकारी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के माध्यम से "स्टेज पासिंग" का प्रयोग करेंगे और एनआरआईडीए द्वारा समय-समय पर प्रकाशित ग्रामीण सड़कों के लिए गुणवत्ता आश्वासन पुस्तिका के संबंधित अध्यायों में "गुणवत्ता नियंत्रण जांच" के अंतर्गत निर्धारित परीक्षणों और उनकी आवृत्ति के आधार पर विभिन्न चरणों के कार्यों को प्रमाणित करेंगे। निर्धारित विभिन्न चरणों में कार्य को प्रमाणित करने वाला अधिकारी उनके द्वारा प्रमाणित कार्य की गुणवत्ता और मात्रा के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में एनआरआईडीए द्वारा जारी विस्तृत निर्देश लागू होंगे।

14.6 गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के दूसरे स्तर के रूप में, राज्य सरकार द्वारा पीआईयू से स्वतंत्र नियुक्त गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयों द्वारा कार्यों का आवधिक निरीक्षण किया जाएगा। इन अधिकारियों/एजेंसियों (जिन्हें राज्य गुणवत्ता मॉनिटर कहा जाएगा) से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित निरीक्षण करें और उपयोग की गई सामग्री के नमूनों का परीक्षण राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं में करवाएं साथ ही कुछ मामलों में स्वतंत्र प्रयोगशालाओं जैसे कि एसटीए की प्रयोगशालाओं में भी करवाएं। राज्य सरकारें इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेंगी। राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) रिपोर्ट के निष्कर्षों को ओएमएमएएस में अपलोड किया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा। एसक्यूएम कार्यकारी अभियंता के पद से नीचे नहीं होगा और अधिमानतः किसी सरकारी संगठन से अधीक्षण अभियंता या समकक्ष या उससे ऊपर के स्तर का होगा, जो सेवानिवृत्त हो या कार्यरत हो और पीआईयू/एसआरआरडीए से स्वतंत्र भी होगा। राज्य इस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र एजेंसी भी तैनात कर सकता है। एसक्यूएम की पात्रता और अनुभव, निरीक्षण के तौर-तरीके आदि इस संबंध में एनआरआईडीए के निर्देशों के अनुसार होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एसक्यूएम केवल उन्हीं संगठनों से लिए जाएं जो सड़कों का निर्माण और रखरखाव कर रहे हैं।

14.7 राज्य गुणवत्ता मॉनिटर (एसक्यूएम) निर्धारित ई-प्रारूप में परियोजनाओं की सामग्री और कार्यकुशलता की गुणवत्ता की रिपोर्ट करेंगे और ई-परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से टिप्पणियों की पुष्टि करेंगे। परीक्षण परिणामों और भू-संदर्भित/समय-मुद्रित तस्वीरों द्वारा समर्थित रिपोर्ट के पूर्ण ई-फ़ॉर्म को मद-वार सारांश कार्यक्रम एमआईएस-ओएमएमएएस में अपलोड किया जाएगा। ये रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़क की लंबाई और पुल के स्पैन के आधार पर राज्य द्वारा अधिक संख्या में एसक्यूएम निरीक्षण सुनिश्चित किए जाएंगे।

14.8 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बनाए जा रहे लंबे पुलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुल की गुणवत्ता पर अधिक जोर देना आवश्यक है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 75 मीटर तक के पुलों का एसक्यूएम द्वारा तीन बार निरीक्षण किया जाएगा। 75 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों के लिए, निर्माण के विभिन्न चरणों में एसक्यूएम निरीक्षण पांच बार होगा, निर्माण प्रक्रिया के दौरान संपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पूरा होने पर एक अतिरिक्त निरीक्षण किया जाएगा।

14.9 प्रत्येक राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) के रूप में कार्य करने के लिए एक वरिष्ठ इंजीनियर (अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे नहीं) को नियुक्त किया है। उनका कार्य राज्य के भीतर गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के संतोषजनक कामकाज की देखरेख करना है। इस कार्य में राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर और राज्य गुणवत्ता मॉनिटर की रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की देखरेख भी शामिल होगी। राज्य गुणवत्ता समन्वयक एसआरआरडीए का हिस्सा है। राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया जाएगा: -

(i) वह स्नातक सिविल इंजीनियर होनी/होना चाहिए, जो अधीक्षण अभियंता के पद से नीचे की/का न हो।

(ii) उसके पास पिछले दस वर्षों में कम से कम पाँच वर्षों तक सड़क निर्माण के लिए काम करने का क्षेत्र अनुभव होना चाहिए। साथ ही पिछले पाँच वर्षों में उसने सड़क निर्माण/रखरखाव के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष तक कार्य किया हो।

राज्य स्तर पर गुणवत्ता निगरानी में निरंतरता की आवश्यकता को देखते हुए यह वांछनीय है कि एसक्यूसी को कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाए।

14.10 गुणवत्ता नियंत्रण संरचना के तीसरे स्तर के रूप में एनआरआईडीए कार्यक्रम की परियोजनाओं का यादृच्छिक निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र मॉनिटर (एसई और उससे ऊपर के स्तर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर) या एजेंसी को नियुक्त करेगा। इन लोगों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर (एनक्यूएम) के रूप में नामित किया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारियों के अलावा एनआरआईडीए अपने कैडर राज्य के बाहर निरीक्षण करने और क्रॉस-लर्निंग के लिए अधीक्षण अभियंता (एसई) और उससे ऊपर के स्तर के कार्यरत अधिकारियों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

14.11 यह जिम्मेदारी पीआईयू की होगी कि एनक्यूएम को प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय रिकॉर्ड की निर्बाध सुविधा दी जाए और कार्यों के निरीक्षण को सुविधाजनक बनाए। एनक्यूएम का निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण पहलू पर केंद्रित होगा और जिले में गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के

सामान्य कामकाज पर भी रिपोर्ट करेगा। एनक्यूएम की पात्रता और अनुभव, निरीक्षण और रिपोर्टिंग, कार्रवाई रिपोर्ट और अन्य विवरण इस संबंध में एनआरआईडीए के निर्देशों के अनुसार होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एनक्यूएम केवल उन्हीं संगठनों से लिए जाएं जो मूल रूप से सड़कों के निर्माण और रखरखाव को लागू कर रहे हैं।

14.12 एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि पीआईयू अधिकारी एनक्यूएम द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध हों।

14.13 यदि एसक्यूएम या एनक्यूएम द्वारा गुणवत्ता जांच में 'असंतोषजनक' कार्य का पता चलता है, तो पीआईयू यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर सामग्री को बदल दे या कार्य (जैसा भी मामला हो) को ठीक कर दे। जब तक काम 'असंतोषजनक' बना रहता है, तब तक काम के लिए भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। छह महीने के भीतर पूर्ण किए गए कार्यों की एनक्यूएम रिपोर्ट पर एसआरआरडीए द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

14.14 किसी जिले में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता या उनके रखरखाव के बारे में बार-बार प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर कार्यक्रम के अंतर्गत नई परियोजनाओं की मंजूरी और उस क्षेत्र में निधियां जारी करने को तब तक के लिए स्थगित किया जा सकता है, जब तक कि दोषपूर्ण कार्यों के मूल कारणों का समाधान नहीं कर लिया जाता और एनआरआईडीए द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

14.15 राज्य गुणवत्ता समन्वयक/पीआईयू के प्रमुख कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतों/अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और उनकी जांच करने के लिए प्राधिकारी होंगे और वे उचित जांच के बाद 30 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को जवाब भेजने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस उद्देश्य के लिए एसआरआरडीए निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) राज्य गुणवत्ता समन्वयक के नाम, पता और अन्य विवरण का राज्य में निविदा नोटिस, वेबसाइट आदि सहित है) पर्याप्त प्रचार किया जाएगा (क्योंकि वह शिकायतें प्राप्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है।

(ii) राज्य गुणवत्ता समन्वयक सभी शिकायतों को पंजीकृत करेगा और पीआईयू द्वारा या यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो राज्य गुणवत्ता मॉनिटर या स्वतंत्र टीम द्वारा उनकी जांच कराएगा।

(iii) सभी शिकायतों की प्राप्ति (पंजीकरण संख्या देते हुए) पर पावती दी जाएगी तथा उत्तर की संभावित तिथि दर्शाई जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को परिणाम तथा की गई/प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा।

(iv) बेनामी/छद्मनामी शिकायतों पर राज्य सरकार/ग्रामीण विकास मंत्रालय के वर्तमान निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(v) ग्रामीण विकास विभाग/एनआरआईडीए के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को सामान्यतः जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य गुणवत्ता समन्वयक को भेजा जाएगा। यदि एसक्यूएम से रिपोर्ट अपेक्षित है, तो इसे निर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यदि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो एनआरआईडीए, एनक्यूएम या विशेषज्ञों की एक टीम को प्रतिनियुक्त कर सकता है तथा आगे की प्रक्रिया एनक्यूएम/टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।

(vi) एसक्यूसी राज्य नोडल विभाग/राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को (निर्धारित प्रारूप में) मासिक रिपोर्ट देगा तथा शिकायतों पर कार्रवाई की स्थिति पर राज्य स्तरीय स्थायी समिति में चर्चा की जाएगी।

एनआरआईडीए इस शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी करेगा।

14.16 इन दिशा-निर्देशों के अनुसार दूसरे स्तर के गुणवत्ता नियंत्रण व्यय कार्यक्रम द्वारा वहन किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए जारी कार्यक्रम निधि का एक अनुपात के रूप में स्वीकृत परियोजना लागत का 0.50% एसआरआरडीए को जारी किया जाएगा।

14.17 संबंधित जोन/क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता उस जोन/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और जिला प्रमुख से छह महीने में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी पीएमजीएसवाई परियोजना का चयन करने का अनुरोध करेंगे। संयुक्त निरीक्षण का कार्यक्रम सांसद/जिला प्रमुख की सुविधा के अनुसार तय किया जाएगा।

14.18 किसी डिवीजन के प्रभारी कार्यकारी अभियंता, विधायक और संबंधित मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से तीन महीने में एक बार अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार किसी पीएमजीएसवाई परियोजना का संयुक्त निरीक्षण करने का अनुरोध करेंगे।

14.19 इसी प्रकार, डिवीजन के प्रभारी सहायक अभियंता, ग्राम पंचायत के संबंधित सरपंच से दो महीने में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए किसी पीएमजीएसवाई परियोजना का चयन करने का अनुरोध करेंगे। परियोजना का संयुक्त निरीक्षण उनकी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है।

14.20 संक्षेप में, गुणवत्ता नियंत्रण के प्रथम स्तर के रूप में पीआईयू सीधे गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है अर्थात हमेशा यह सुनिश्चित करना कि ठेकेदार कार्यों की विशिष्टताओं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार सामग्री और कारीगरी में गुणवत्ता प्रदान कर रहा है। गुणवत्ता नियंत्रण का दूसरा स्तर, एसक्यूसी के अंतर्गत एसक्यूएम गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हैं, अर्थात यह सुनिश्चित करना कि ठेकेदार और पीआईयू निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार पीआईयू को सहायता प्रदान करते हैं। गुणवत्ता नियंत्रण का तीसरा स्तर एक गुणवत्ता आश्वासन तंत्र है। एनक्यूएम से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यों का यादृच्छिक निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम कर रही है और अपेक्षित गुणवत्ता प्रदान करेगी। इस स्तर का उद्देश्य जिले/राज्य की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में प्रणालीगत मुद्दों यदि कोई हो, की पहचान करना तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना है। इस प्रकार तीनों उप-प्रणालियाँ अदला-बदली पात्र नहीं हैं तथा इन्हें एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

15. निगरानी

15.1 कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी महत्वपूर्ण है इसलिए राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारी एसआरआरडीए के साथ-साथ एनआरआईडीए को अपेक्षित रिपोर्ट/सूचना भेजने में तत्पर रहें। इस प्रकार की निगरानी के लिए विकसित ओएमएमएएस मुख्य तंत्र होगा। इस हेतु अधिकारियों को ओएमएमएएस के प्रासंगिक मॉड्यूल में एनआरआईडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी डेटा और जानकारी 'ऑन-लाइन' अद्यतन करना होगा। वे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ-साथ इंटरनेट संपर्कता के निर्बाध रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। एनआरआईडीए द्वारा विकसित ओएमएमएएस के सॉफ्टवेयर को राज्यों में किसी भी स्तर पर संशोधित नहीं किया जाएगा; परिवर्तन के लिए किसी भी आवश्यकता या सुझाव के बारे में एनआरआईडीए को सूचित किया जाएगा।

15.2 राज्य सरकार जिला और राज्य स्तर पर कंप्यूटर हार्डवेयर स्थापित करने के लिए आवश्यक जनशक्ति, स्थान और सुविधाएं प्रदान करेगी।

15.3 पीआईयू/जिला स्तर पर कंप्यूटरों की प्रभावी अप-टाइम और इंटरनेट संपर्कता सुनिश्चित करना कार्यकारी अभियंता/पीआईयू के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। वह ग्रामीण सड़क योजना सहित सभी मास्टर डेटा को डेटाबेस में रखने और सड़क कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों के रिकॉर्ड के साथ-साथ किए गए भुगतानों से संबंधित डेटा की

निरंतर अद्यतन और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। राज्य में पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन विभाग के प्रभारी सचिव भी ओएमएमएएस पर डेटा का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करेंगे। ओएमएमएएस पर डेटा अपडेट करने में लगातार विफलता के मामले में, संबंधित राज्य/जिले को आगे की निधि जारी नहीं की जाएगी।

15.4 प्रत्येक राज्य सरकार राज्य आईटी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त वरिष्ठता और सूचना प्रौद्योगिकी के पर्याप्त ज्ञान वाले एक अधिकारी की पहचान करेगी। उनका कार्य जिलों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे डेटा की नियमितता और सटीकता की देखरेख करना होगा। आईटी नोडल अधिकारी जो एसआरआरडीए का हिस्सा होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रखरखाव के साथ-साथ पीएमजीएसवाई-IV से निपटने वाले कर्मियों की कंप्यूटर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

15.5 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों और ओएमएमएएस आदि पर आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से की जाएगी। वेब आधारित ओएमएमएएस परियोजनाओं की निरंतर निगरानी के लिए एक लेन-देन आधारित प्रबंधन प्रणाली होगी। ओएमएमएएस पीएमजीएसवाई-IV को कागज रहित प्रबंधन कार्यक्रम के रूप में कार्य करने में सक्षम करेगा, और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ओएमएमएएस डेटा का नियमित अद्यतन अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए पूर्वापेक्षा होगी क्योंकि ओएमएमएएस एक निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। एनआरआईडीए कार्यक्रम के कागज रहित प्रबंधन में जाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

15.6 विभाग द्वारा गठित जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति/जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) भी पीएमजीएसवाई-IV के संबंध में प्रगति की निगरानी करेगी तथा सतर्कता बरतेगी।

16. ग्रामीण सड़कों और पुलों का रखरखाव

16.1 पीएमजीएसवाई गरीबी उन्मूलन रणनीति के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा केंद्रीय निवेश है। 'अंतिम मील' संपर्कता में यह निवेश अनिवार्य रूप से तभी उपयोगी होगा जब नेटवर्क के सभी लिंक अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएं। खेत से बाजार तक संपर्कता के संदर्भ में, अगर ग्रामीण उद्यमी को खेत पर और खेत से बाहर दीर्घकालिक निवेश के जोखिम उठाने हैं, तो उचित रखरखाव आवश्यक है। इसी तरह अगर कृषि और ग्रामीण बाजारों से निरंतर संपर्कता सुनिश्चित की जाती है तो स्थायी आजीविका के अवसर बढ़ने की संभावना है।

तदनुसार, व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत उपायों को लागू करना और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना, राज्य में कार्यक्रम को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारें ग्रामीण सड़कों और पुलों के रखरखाव अनुबंधों का प्रबंधन करने में सक्षम होने के लिए एसआरआरडीए और जिला पंचायतों में क्षमता निर्माण के लिए कदम उठाएंगी।

16.2 राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए मंडी कर/उपकर और खनन उपकर आदि से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। राज्य इन सड़कों के यातायात भार को ध्यान में रखते हुए खनन क्षेत्रों के मामले में अभिसरण मॉडल में सड़कों के निर्माण/रखरखाव के लिए जिला खनन/खनिज निधि का उपयोग कर सकते हैं।

16.3 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पीएमजीएसवाई-I के बाद से निर्मित सड़कों और पुलों का रखरखाव स्थायी ग्रामीण संपर्क प्रदान करने के मद्देनजर किया जाना आवश्यक है। इसलिए, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित सभी सड़कों और पुलों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा एक ही एजेंसी, अधिमानतः एसआरआरडीए या निष्पादन एजेंसी जिसने सड़क और पुल का निर्माण किया है, के माध्यम से किया जाएगा।

16.4 किसी भी सड़क परियोजना की अनुमानित स्वीकृत लागत में निर्माण लागत, पांच साल की दोष देयता लागत (एनआरआईडीए के मानक बोली दस्तावेज के अनुसार निष्पादन-आधारित रखरखाव अनुबंध के आधार पर नियमित रखरखाव के लिए, ई-मार्ग मॉड्यूल के माध्यम से निष्पादित) और पांच साल की दोष देयता अवधि के बाद नियमित रखरखाव और नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त लागत शामिल है। इनकी निगरानी ई-मार्ग मॉड्यूल के माध्यम से की जाती है, जो पांच साल के डीएलपी से पहले और बाद के दोनों के लिए एनआरआईडीए द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार है। डीओआरडी और राज्य सरकार/यूटी के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत केंद्र सरकार निर्माण लागत की निधि देती है जबकि 10 साल तक के रखरखाव की लागत राज्य/यूटी द्वारा वहन की जाती है। केंद्र सरकार के वित्तपोषण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए राज्य/यूटी का हिस्सा, जिसमें निर्माण लागत और प्रत्येक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में अनुमोदित 10 साल की रखरखाव लागत दोनों शामिल हैं, को पीएमजीएसवाई कोष में जमा किया जाना चाहिए। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा समय पर क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए, डीओआरडी के अनुसार आवश्यक है कि केंद्रीय हिस्सा जारी करने से पहले 31 मई तक 50% और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक शेष 50% रखरखाव निधि कार्य खाते में जमा की जाए ।

16.5 चूंकि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पिछले चरणों में निर्मित नए संपर्क लिंक और ग्रामीण थ्रू रूट/प्रमुख ग्रामीण लिंक तुलनात्मक रूप से अधिक यातायात वहन करते हैं और उन्हें अच्छी स्थिति में रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है इसलिए नए संपर्क लिंक और थ्रू रूट (चाहे पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अपग्रेड किए गए हों या पीएमजीएसवाई लिंक रूट के संबद्ध थ्रू रूट के रूप में रखरखाव अनुबंध के अधीन हों) को निर्माण के बाद 5 साल के रखरखाव की अवधि समाप्त होने पर 5 साल के रखरखाव की गारंटी सहित अन्य 5 साल के बाद के रखरखाव अनुबंध के अंतर्गत रखा जाएगा जिसमें स्थिति के आकलन के आधार पर आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण शामिल होगा। राज्य सरकार आवश्यक बजट प्रावधान करेगी और रखरखाव अनुबंधों की सेवा के लिए धन को रखरखाव निधि खाते में एसआरआरडीए के पास रखेगी।

16.6 ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पहलुओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एसआरआरडीए को सड़क रखरखाव प्रकोष्ठ विकसित करने की सलाह दी गई है। सभी एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेंगे कि यह रखरखाव प्रकोष्ठ राज्य में कुशलतापूर्वक काम करें। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित पुलों का भी कुशलतापूर्वक रखरखाव किया जाना आवश्यक है इसलिए एसआरआरडीए इन पुलों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेंगे। इसे सुनिश्चित करने के लिए एसआरआरडीए के सड़क रखरखाव प्रकोष्ठ में उपयुक्त पात्रता और अनुभव वाले पुल विशेषज्ञ शामिल होंगे। राज्य, पुलों के निरीक्षण और रखरखाव के लिए एक मैनुअल भी विकसित करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों और पुलों का रखरखाव इस संबंध में नवीनतम आईआरसी/एनआरआईडीए दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। राज्य, निविदा दस्तावेज में सड़क घटक के लिए किए जा रहे नियमित रखरखाव सहित 5 साल की पुल दोष देयता अवधि (डीएलपी) शामिल करेगा।

16.7 राज्य सरकारें दोष देयता अवधि (डीएलपी) के दौरान/डीएलपी के बाद सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास करेंगी। सड़कों के रखरखाव के लिए एसएचजी की क्षमता निर्माण एसआरआरडीए द्वारा किया जाएगा। पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव में एसएचजी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश एनआरआईडीए द्वारा जारी किए जाएंगे।

16.8 राज्य सरकारें दोष दायित्व अवधि के बाद ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए वित्त पोषण के स्थायी स्रोत विकसित करने का प्रयास करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि एसआरआरडीए:

i. ग्रामीण कोर नेटवर्क और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शुरू की गई सड़कों के उचित रखरखाव के लिए निधियों का वार्षिक अनुमान तैयार करके राज्य नोडल विभाग और एनआरआईडीए को प्रस्तुत करें।

ii. बजटीय रखरखाव निधि के आवंटन के लिए प्राथमिकता मानदंड लागू करे। मानदंड एनआरआईडीए के परामर्श से विकसित किए जा सकते हैं, जो यातायात/जनसंख्या जैसी स्थितियों को महत्व देते हुए फुटपाथ स्थिति सूचकांक (पीसीआई) पर आधारित होंगे।

iii. प्राथमिकता मानदंडों के समन्वित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए रखरखाव निधि प्राप्त करने वाली निष्पादन एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखें, और

iv. सड़क रखरखाव निवेश के आधार पर वार्षिक पीआईयू वार सड़क परिसंपत्ति मूल्यांकन और नेटवर्क परिसंपत्ति मूल्यांकन प्रकाशित करें।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव अनुबंधों की निगरानी के लिए ई-मार्ग मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।

16.9 निरंतर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ग्रामीण सड़क रखरखाव और परिसंपत्ति प्रबंधन नीति को लागू/सुदृढ किया जाना चाहिए तथा उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। ग्रामीण सड़क रखरखाव और परिसंपत्ति प्रबंधन नीति के प्रावधान में पुल भी शामिल होंगे। राज्य द्वारा विकसित नीति में राज्य की विशिष्ट शर्तों को शामिल किया जाएगा ताकि रखरखाव में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित हो सके तथा इसे एनआरआईडीए के साथ साझा किया जाएगा। रखरखाव व्यय का उचित हिसाब रखना आवश्यक है। तदनुसार ऑनलाइन रखरखाव प्रबंधन की निगरानी के लिए ओएमएमएएस पर सड़कवार रखरखाव लेखा मॉड्यूल स्थापित किया जा रहा है। चूंकि अद्यतन डीआरआरपी जीआईएस प्लेटफॉर्म पर है इसलिए प्रत्येक सड़क के रखरखाव प्रबंधन की समय पर निगरानी को सक्षम करने के लिए सड़कवार रखरखाव व्यय को एक अतिरिक्त सहायता के रूप में रखा जाना चाहिए।

17. ग्रामीण सड़क सुरक्षा और सुगमता उपाय

17.1 ज्यामितीय मानकों, विनिर्देशों, आवश्यक यातायात संकेतों और चिह्नों के उचित स्थान और सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों का पालन करके पीएमजीएसवाई सड़कों की सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। इन पहलुओं पर किसी भी तरह का समझौता करने से

सड़कों पर सुरक्षा मानदंड निम्न स्तर के हो जाएंगे। बाद में सुधार करने के बजाय मानकीकृत सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए सड़कें बनाई जानी चाहिए। इस संबंध में, निष्पादन से पहले योजना और डिजाइन चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) आयोजित करना विवेकपूर्ण है। निर्माण के दौरान सुरक्षा खतरों को समझने और सभी नई संपर्कता के लिए सड़क सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करने के लिए ये ऑडिट आवश्यक हैं।

17.2 सड़क सुरक्षा एक बहु-अनुशासनिक गतिविधि है। इसमें सड़कों, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, बीमा और शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त कार्य और पूरक इनपुट शामिल हैं। मास मीडिया, स्थानीय समुदायों, नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों से भी समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। एनआरआईडीए द्वारा एक ग्रामीण सड़क सुरक्षा मैनुअल तैयार किया गया है और सुरक्षित ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए सभी एसआरआरडीए को प्रसारित किया गया है। इस मैनुअल का डीपीआर तैयारी चरण और निष्पादन चरण में भी सख्ती से पालन किया जाएगा। इसमें दुर्घटना डेटा रिकॉर्ड, सुरक्षित सड़क डिजाइन, सड़क सुरक्षा ऑडिट चेकलिस्ट, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा पर मार्गदर्शन शामिल है। पीआईयू, सलाहकारों और अन्य हितधारकों के लिए सुझावात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी दिए गए हैं। राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक और जिला स्तर पर डीपीआईयू के प्रमुख को विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 215 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः बनाए गए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की सदस्यता के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा सड़क सुरक्षा तंत्र और कार्यक्रमों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा जाएगा।

17.3 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं में सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग उपायों पर व्यापक दिशा-निर्देश एनआरआईडीए द्वारा अलग से अपडेट किए जाएंगे। सड़क सुरक्षा के लिए इन इंजीनियरिंग उपायों को लागू करने की लागत (भूमि अधिग्रहण को छोड़कर), निर्माण लागत का एक हिस्सा होगी और इसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

17.4 समुदायों और ग्रामीण सड़कों के उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा चिंताओं और दुर्घटना के बोझ को कम करने में उनकी भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाना भी आवश्यक है। सार्वजनिक वकालत अभियानों को डिजाइन करने और व्यवस्थित करने में कई पद्धतियाँ काम कर रही हैं जो सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार परिवर्तन को लक्षित करती हैं, जिससे सभी के लिए सुरक्षित सड़कें बनती हैं। कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में निम्न बिन्दु शामिल हैं:

(i) यह दिखाना और समझाना कि असुरक्षित सड़क का उपयोग खतरनाक और अस्वीकार्य है।

(ii) यह दिखाना और समझाना कि असुरक्षित सड़क उपयोग पूरे समुदाय के लिए जोखिम भरा है।

(iii) यह समझाना कि सुरक्षित सड़क उपयोग व्यवहार से उन्हें और उनके समाज को लाभ होता है।

(iv) स्थानीय समुदायों में से, सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करने और सेवा करने के लिए सुरक्षा चैंपियन/स्वयंसेवकों की पहचान करने और उनका चयन करने का प्रयास किया जा सकता है।

17.5 पीआईयू को ग्रामीण सड़कों पर मृत्यु और गंभीर चोटों से जुड़ी दुर्घटनाओं के मामलों की रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित करते हुए एसआरआरडीए मुख्यालय को सूचित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ग्रामीण सड़कों पर ऐसे स्थानों पर दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उपचार/सुधार की निगरानी करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। एनआरआईडीए द्वारा ओमास में एक सुरक्षा मॉड्यूल विकसित करना चाहिए।

17.6 डीपीआर तैयार करते समय, "ग्रामीण सड़कों तक दिव्यांगजनो की सुगमता दिशानिर्देशों" का अनुपालन किया जाना है।

भाग III - निधियों का प्रवाह, जारी करने की प्रक्रिया और लेखापरीक्षा

18. निधियों का प्रवाह

18.1 परियोजना की लागत में निर्माण की लागत (डीपीआर की तैयारी और निर्माण लागत) शामिल होगी। प्रशासनिक लागत कुल परियोजना लागत के 2.00% तक सीमित होगी। परियोजना की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक लागत को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पैरा 4.1 (i) में दर्शाए गए अनुपात में साझा किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) डीएलपी अवधि के दौरान रखरखाव की लागत (निर्माण के बाद 5 साल की नियमित रखरखाव लागत), स्थिति के आकलन के आधार पर छठे वर्ष या बाद में आवधिक नवीनीकरण की लागत और आगे पांच साल की नियमित रखरखाव लागत का भी संकेत देगी। हालांकि, छठे वर्ष की आवधिक नवीनीकरण अनुबंध में 5 साल का नियमित रखरखाव अनुबंध भी शामिल होगा। रखरखाव की पूरी लागत राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन की जाएगी।

18.2 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश को निधियों के प्रवाह के लिए एसएनएस्पर्श (SNA-SPARSH) तंत्र का उपयोग किया जाएगा।

18.3 बैंकों में जमा की गई निधियों पर अर्जित ब्याज तथा परिसमाप्त क्षतियों के लिए प्राप्त राशि, यदि कोई हो, विविध प्राप्तियां हैं उन्हें सीएफआई/सीएफएस को उनके निधि साझाकरण पैटर्न के अनुपात में प्रेषित किया जाएगा।

18.4 प्रशासनिक व्यय निधि की स्वीकृति अर्थात निर्माण लागत के केंद्रीय हिस्से का 2.00% लेखांकन उद्देश्यों के लिए एक अलग स्वीकृति पत्र के माध्यम से जारी किया जाएगा।

18.5 पीएमजीएसवाई-IV अर्थात सड़कों के उन्नयन के लिए केंद्र और राज्य के बीच निधि के बंटवारे की निगरानी के लिए खातों के चार्ट में प्राप्ति और व्यय के लिए अलग-अलग खाता शीर्ष पीएमजीएसवाई-I के मौजूदा कार्यक्रम निधि खाते में खोले जाएंगे।

18.6 लेखा प्रविष्टियों को इस बात को ध्यान में रखते हुए ठीक किया गया है कि जब व्यय एसआरआरडीए और पीआईयू स्तर से किया जाता है, तो परियोजनावार व्यय को राज्य और केंद्र से प्राप्त निधियों के लिए अलग-अलग लेखा शीर्षों में रखा जाना है। केवल निधियों की प्राप्ति के समय, इसे केंद्र और राज्य से प्राप्तियों के लिए अलग-अलग शीर्षों में अलग से रखा जाना है ताकि इसकी निगरानी की जा सके और रखरखाव अवधि के लिए उचित रूप से हिसाब लगाया जा सके, अगले 5 वर्षों के लिए आवधिक नवीनीकरण (स्थिति मूल्यांकन के आधार पर आवश्यकता के अनुसार) सहित रखरखाव राज्य सरकार द्वारा एसआरआरडीए द्वारा निपटान के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार इस आशय के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करेगी।

18.7 एक वर्ष में दूसरी किस्त जारी करना निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा:

(i) पहले जारी की गई निधियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में वर्षवार उपयोगिता प्रमाण पत्र।

(ii) बैंक प्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर शेष राशि और जमा किए गए ब्याज (एसडी खाते के लिए) को इंगित करते हुए प्रमाण पत्र।

(iii) कार्यों के अपेक्षित भौतिक समापन के बारे में एक प्रमाण पत्र

(iv) वर्ष के अक्टूबर के बाद सभी रिलीज के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के खातों के

लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों का ऑडिटेड स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और संबंधित स्टेटमेंट तैयार करना।, एसआरआरडीए द्वारा विधिवत प्रमाणित और एनआरआईडीए द्वारा सत्यापित ओएमएमएएस के संबंधित मॉड्यूल के आउटपुट।

(v) एसआरआरडीए के सीईओ से एक प्रमाण पत्र की लागू रखरखाव अनुबंधों (डीएलपी और पोस्ट डीएलपी दोनों) के अनुसार आवश्यक रखरखाव निधि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई थी।

18.8 वर्ष के मई के बाद किसी भी मंजूरी को जारी करने के लिए प्रमाण पत्र में यह भी शामिल होगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रखरखाव निधि की 50% आवश्यकताओं को राज्य द्वारा जारी किया गया है, जबकि नवंबर के बाद रिलीज के लिए, प्रमाण पत्र ऐसे फंडों के 100% के लिए होगा। 18.9 निधियों के लिए स्वीकृति जारी करने के उद्देश्य से, राज्य को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा। बैंकिंग व्यवस्था, बैंक खाते के संचालन की प्रक्रिया और योजना के संचालन के लिए अन्य तौर-तरीके SNA-SPARSH मॉड्यूल के मौजूदा प्रावधान के अनुसार बनाए जाएंगे।

18.10 तीनों घटकों यानी कार्यक्रम निधि, प्रशासनिक निधि और रखरखाव निधि के लिए धन का प्रवाह समय-समय पर जारी किए गए एसएनए -स्पर्श (SNA-SPARSH) दिशानिर्देशों के संबंधित प्रावधान के अनुसार संरेखित किया जाएगा।

19. लेखा परीक्षा

19.1 एसआरआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि खातों (पीआईयू सहित) का लेखा-जोखा सीएजी द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाए । यह खाता पीआईयू के खातों के साथ मिलान के विवरण और इसकी सटीकता पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा। लेखा परीक्षक अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एसआरआरडीए का कोई अन्य कार्य नहीं लेगा। कोई भी लेखा परीक्षक तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए एसआरआरडीए का लेखा परीक्षक नहीं रहेगा।

19.2 ओएमएमएएस आधारित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (सभी निधियों अर्थात प्रशासन, कार्यक्रम और रखरखाव के लिए) लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर एसआरआरडीए को भेजा जाएगा।

19.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अलावा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय/आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, मुख्य लेखा नियंत्रक, डीओआरडी के कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। सी एंड एजी द्वारा किए गए कार्यों की लेखापरीक्षा में वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा गुणवत्ता के पहलुओं को भी शामिल किया जा सकता है।

19.4 राज्य स्तरीय एजेंसी और पीआईयू दोनों को राज्य और जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों/दिशा को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

20. विविध

20.1 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएमजीएसवाई IV के अंतर्गत प्रथम बैच के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ गुणवत्ता प्रबंधन, निष्पादन क्षमता, ऑनलाइन कार्यक्रम और लेखा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और सामुदायिक भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

क) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने ई-मार्ग के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि उनके राज्य में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का सड़क निर्माण के 5 वर्ष पश्चात नियमित रखरखाव किया गया है। ई-मार्ग के पांच वर्ष पश्चात निर्माण मॉड्यूल में आवश्यकतानुसार प्रारंभिक पुनर्वास, नवीनीकरण, नवीनीकरण पूर्व नियमित रखरखाव, नवीनीकरण पश्चात रखरखाव और आपातकालीन मरम्मत कार्य शामिल हैं;

ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एसएनए स्पर्श मॉडल के माध्यम से योजना को कार्यान्वित करेंगे;

ग) ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से उम्मीदवार संरेखण और बसावटों का सर्वेक्षण किया जाएगा;

घ) पीएमजीएसवाई-IV के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में पीएमजीएसवाई पुल रखरखाव नीति अपनाई जाएगी;

ङ) नई प्रौद्योगिकी विजन 2022 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों और एनआरआईडीए द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा;

च) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश डीएलपी के दौरान/डीएलपी के बाद सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास करेंगे;

छ) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि डीपीआर तैयार करते समय एनआरआईडीए के सुलभता उपायों और ग्रामीण सड़क सुरक्षा दिशा-निर्देशों/निर्देशों का पालन किया जाए; तथा

ज) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित समय के भीतर एनक्यूएम निरीक्षणों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

20.2 ग्रामीण सड़कों का निर्माण मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जा रहा है और इसलिए यह प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के परिणामस्वरूप ग्रामीण जनता के लिए पर्याप्त अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

20.3 राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, राज्य स्तरीय एजेंसी के सहयोग से, पीआईयू कर्मियों के साथ-साथ ठेकेदार इंजीनियरों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।

20.4 सभी हितधारकों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास के लिए हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय निर्माण अकादमी (एनएसी) के उदाहरण को देश के विभिन्न क्षेत्रों में दोहराया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में सड़क से संबंधित प्रासंगिक व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी शुरू किया जाना चाहिए। ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्रों (आरसीटीआरसी), ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाइयों (आरआरएनएमयू) से ग्रामीण सड़कों सहित ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल विकास रणनीति तैयार करने का अनुरोध किया जा सकता है।

20.5 एसटीए और पीटीए को प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए अतिथि संकाय प्रदान करने का अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है ताकि आईएएचई, सीआरआरआई, एनआईआरडी और एसआईआरडी को सहायता प्रदान की जा सके।

20.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अंतर्गत धन का उपयोग करके राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सड़कों के दोनों ओर फलदार और अन्य उपयुक्त पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत निर्मित सड़कों के किनारे वृक्षारोपण के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण सड़कों के किनारे वृक्षारोपण संबंधी दिशा-निर्देशों (आईआरसी:एसपी:103-2014) का पालन किया जाएगा।

20.7 एनआरआईडीए ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एनआरआईडीए द्वारा जारी नई प्रौद्योगिकी पहल और दिशा-निर्देश-2022 पर विजन दस्तावेज के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अनिवार्य रूप से पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करेंगे।

20.8 कार्यों को इस तरह से पैकेज किया जाएगा कि आधुनिक मशीनरी और उपकरणों के साथ सक्षम ठेकेदारों को आकर्षित किया जा सके और छोटे ठेकेदारों को बढ़ावा दिया जा सके।

20.9 ग्रामीण विकास विभाग समय-समय पर कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

20.10 पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत परिचालन और लेखा पहलुओं का विवरण देने के लिए संचालन मैनुअल और लेखा मैनुअल का पालन किया जाएगा।

21. अभिसरण

21.1 ग्रामीण संपर्क और ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है; यह सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने और सेवा वितरण सुनिश्चित करने का एक साधन है। यह उम्मीद की जाती है कि पीएमजीएसवाई-IV शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आय आदि के संकेतकों में सुधार करेगा, जो अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में प्रदान किए जाते हैं, और स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से, इन क्षेत्रों में चल रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण प्राप्त किया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि जिला पंचायत इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ग्रामीण सड़कों पर काम शुरू करने से पहले, बेंचमार्क विकास संकेतकों को मापा जा सकता है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संलग्न किया जा सकता है। नई संपर्कता के माध्यम से लाभान्वित होने वाली संस्थाओं पर डेटा प्राप्त करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

21.2 जिला खनन/खनिज निधि का उपयोग इन सड़कों पर खनन यातायात भार को ध्यान में रखते हुए खनन क्षेत्रों के मामले में अभिसरण मॉडल में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाएगा।

21.3 एनआरआईडीए समय-समय पर किसी जिले में ग्रामीण संपर्कता के प्रभाव को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करेगा।

अनुलग्नक

एमपी-I

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

सांसदों से प्राप्त प्रस्ताव

(प्राप्त होने पर पीआईयू द्वारा भरा जाना)

जिले का नाम: **वर्ष:**

सांसद का नाम: **निर्वाचन क्षेत्र:**

क्रम सं.	प्रस्तावित सड़क का नाम	कोर नेटवर्क में शामिल है या नहीं	प्राथमिकता का क्रम

सड़कों की कुल संख्या:

कोर नेटवर्क में शामिल सड़कों की कुल संख्या:

पीआईयू प्रमुख के हस्ताक्षर: **सांसद के हस्ताक्षर:**

एमपी-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

कोर नेटवर्क में शामिल सांसदों के प्रस्तावों पर कार्रवाई

(जिला पंचायत द्वारा विचार के बाद पीआईयू द्वारा भरा जाएगा)

जिले का नाम: **वर्ष:**

#	सांसद का नाम	सड़क का नाम*	सड़क कोड	प्राथमिकता का क्रम	लागत (लाख रुपये में)	क्या जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित है	स्वीकृति न होने के कारण

*कोर नेटवर्क में सड़कों के संबंध में एमपी-I से उद्धृत

पीआईयू प्रमुख के हस्ताक्षर: